

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक ०६/०३/२०२०

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	58.470

कुल आवंटित राशि - रुपये अठावन लाख सैंतालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 10530.59 लाख (एक सौ पाँच करोड़ तीस लाख उनसठ हजार) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबद्धित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वितीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वितीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(अमिताभ कौशल)

सचिव

ज्ञापांक :- 285

रॉची, दिनांक :- 06/3/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(अमिताभ कौशल)

सचिव

ज्ञापांक :- 285

रॉची, दिनांक :- 06/3/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/ सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वितीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ कौशल)
सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-मू-जल

लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉय

पर्यांक..... दिनांक..... का अनुदानक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विरुल शीर्ष-01-वेतन एवं नगरे										विरुल शीर्ष-02-यात्रा व्यय										विरुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुल शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुल शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में
		कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां ईंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	विषय कोड	50S2702020050 10101	50S2702020055 010110	50S2702020055 5010112	50S2702020055 010213	50S2702020055 010315	50S2702020055 5010316	50S2702020055 5010323	50S2702020055 010333	50S2702020055 010334	50S2702020055 010337	50S2702020055 010442	50S2702020055 010760	25.450																					
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	पूर्व का आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.800	0.800	0.000	0.200	0.250	0.000	0.400	1.000	0.000	25.450																					
		अतिरिक्त आवंटन	25.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	25.800																					
		कुल आवंटन	47.500	0.000	0.000	0.800	0.800	0.000	0.200	0.250	0.000	0.400	1.300	0.000	51.250																					
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची	पूर्व का आवंटन	197.000	0.000	0.400	0.800	0.800	0.000	0.200	0.300	0.025	0.300	1.000	0.100	200.925																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050	0.000	0.000	0.550	0.000	0.500	0.000	2.100																					
		कुल आवंटन	197.000	0.000	0.400	0.800	0.800	1.050	0.200	0.300	0.575	0.300	1.500	0.100	203.025																					
3	लघु सिंचाई अंचल-मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.900	0.900	0.500	0.150	0.100	0.100	0.000	0.900	0.000	111.650																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200																					
		कुल आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.900	0.900	0.500	0.150	0.100	0.100	0.000	1.100	0.000	111.850																					
4	लघु सिंचाई अंचल-इजाराबाग	पूर्व का आवंटन	94.080	0.000	0.250	1.400	0.700	0.150	0.120	0.200	0.150	0.000	1.400	0.150	98.600																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.300																					
		कुल आवंटन	94.080	0.000	0.250	1.400	0.700	0.150	0.120	0.200	0.150	0.000	1.700	0.150	98.900																					
5	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	पूर्व का आवंटन	200.000	0.000	0.200	1.100	0.450	0.150	0.200	0.100	0.150	0.100	1.900	0.050	204.400																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.250																					
		कुल आवंटन	200.000	0.000	0.200	1.100	0.450	0.150	0.200	0.100	0.150	0.100	2.150	0.050	204.650																					
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोडा	पूर्व का आवंटन	260.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.200	0.150	0.150	0.500	0.200	0.600	0.100	262.950																					
		अतिरिक्त आवंटन	25.500	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.500																					
		कुल आवंटन	285.500	1.000	0.200	0.400	0.450	0.200	0.150	0.150	0.500	0.200	0.600	0.100	289.450																					
7	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	463.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.150	0.150	0.100	0.550	0.200	0.900	0.100	466.200																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	1.250																					
		कुल आवंटन	463.000	0.000	0.200	0.400	0.450	1.200	0.150	0.100	0.550	0.200	1.100	0.100	467.450																					
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-रामगढ़	पूर्व का आवंटन	293.900	0.000	0.000	0.450	0.450	0.000	0.150	0.200	0.275	0.200	1.200	0.000	296.825																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200																					
		कुल आवंटन	293.900	0.000	0.000	0.450	0.450	0.000	0.150	0.200	0.275	0.200	1.400	0.000	297.025																					
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-राँची	पूर्व का आवंटन	462.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.200	0.150	0.150	0.650	0.200	0.900	0.100	465.400																					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.620	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.82000																					
		कुल आवंटन	462.000	0.000	0.200	0.400	0.45000	0.820	0.150	0.150	0.650	0.200	0.900	0.300	466.220																					

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभिनव)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अभिलेख कोशल)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-नोटरगारहियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
		कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एलएटी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां खेपन एवं मरम्मत	विधि प्रसार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	लघु सिचाई प्रमंडल-हुसैनगढ	पुरव का आवंटन	202.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.000	0.150	0.050	0.000	0.400	0.900	6.140	210.490		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.300	0.400	1.050		
		कुल आवंटन	202.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.000	0.150	0.050	0.350	0.400	0.400	1.200	6.540	211.540	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		51.000	1.000	0.000	0.000	2.720	0.000	0.000	0.900	0.000	2.250	0.600	58.470			

नोट 1: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

नोट: किराया, दरें मद में अतिरिक्त राशि का आवंटन मनीसुट सं० 01/2014 में सीनीयर जज, साहेबगंज द्वारा दिनांक 18.08.15 को पारित न्याय निर्णय तथा विधि विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृतिपत्र सं०-सी०/डी०डी०ए०-03/2017-792/जे०,रादी, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के आलोक में जयधाम(मूलधन) की राशि के भुगतान हेतु।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये अठारवन लाख सैंतालीस हजार मात्र

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपध्याय)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ कोशल)
सचिव